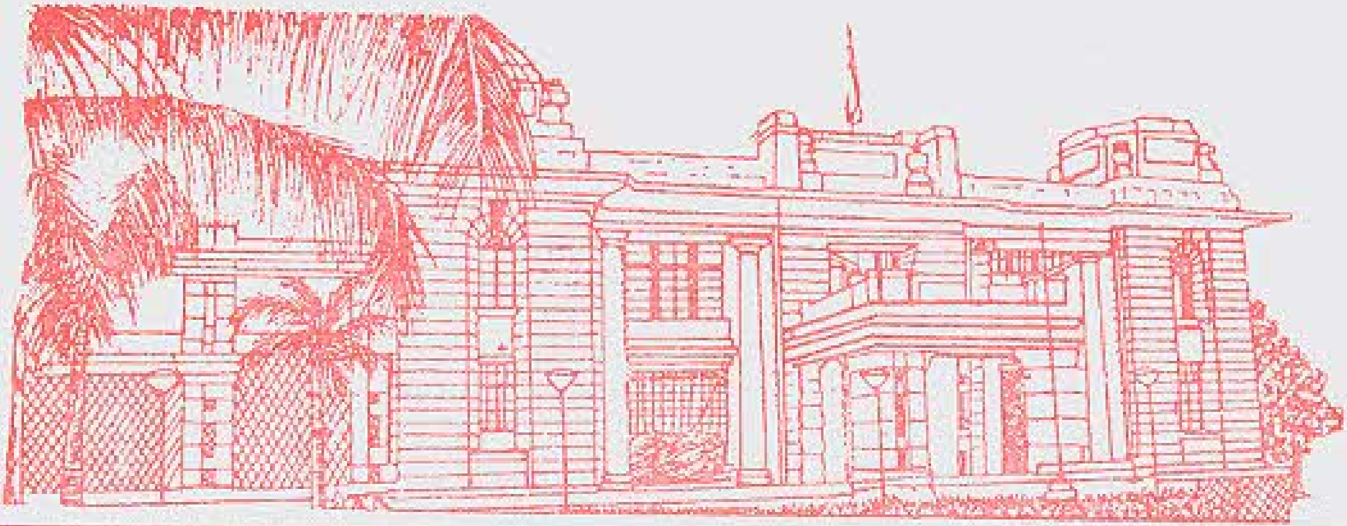

बिहार विधान परिषद दैनिक विवरणिका

संख्या- 3 सत्र- 186वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
बुधवार, दिनांक 23.8.2017 ई.

माननीय उप सभापति श्री मो. हारूण रशीद की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 2.50 अपराह्न तक

1. कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी ने सृजन घोटाला से संबंधित अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया। इसपर आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी सहित अन्य पांच माननीय सदस्यों से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 104(3) के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 104(1) एवं (3) के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

इस अवसर पर राजद एवं कांग्रेस के कई माननीय सदस्यगण नारेबाजी करते हुए एवं पोस्टर लहराते हुए सदन वेश्म में चले आये जिसमें माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार आसन के नजदीक

चले आये और जोर-जोर से पोस्टर लहराते हुए नारेबाजी करने लगे जबकि माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी अपने स्थान से लगातार बोलती रहीं।

2. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 10 एवं 11 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 12,13,14,15,16,18, 20, 21, 22, 23 एवं 24 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 17 एवं 19 अनागत हुए।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 16, 17, 18,19, 20, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 एवं 35 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 15, 21, 22, 23, 25, 28 अनागत हुए।

3. शून्यकाल

1. श्री राधाचरण साह एवं प्रो. नवल किशोर यादव
2. श्री रामचन्द्र भारती

आसन का निदेश

शून्यकाल की 2 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उन्हें शून्यकाल समिति को सुपुर्द किया जाता है।

4. औपचारिक कार्य

विधान सभा से प्राप्त विधेयकों को सदन की मेज पर रखा जाना

सचिव द्वारा बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 157 के अनुसरण में निम्नलिखित विधेयक, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 22.8.2017 की बैठक में पारित हुए, सदन की मेज पर रखे गए-

1. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) विधेयक, 2017
2. बिहार काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 2017
3. बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2017
4. बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017

5. परिनियत कार्य

1. माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन यथा 'स्थानीय निकाय' की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

2. माननीय मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

3. माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा बिहार विज्ञापन कर अधिनियम, 2007 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या एस.ओ.-273 एवं 274 की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

4. माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना सं.-एस.ओ.-32 तथा 33, एस.ओ.-307 तथा 308, एस.ओ.-285 तथा 286, एस.ओ.-269 तथा 270 एवं एस.ओ.-261 तथा 262 की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

5. माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-277 तथा 278 एवं एस.ओ.-275 तथा 276 की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

6. माननीय मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-287 तथा 288 एवं एस.ओ.-271 तथा 272 की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

7. माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर (बिहार) नियमावली, 1957 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-5 तथा 6 एवं एस.ओ.-263 तथा 264 की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

8. माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-267 तथा 268 की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

9. माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-265 तथा 266 की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

10. माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-121 तथा 122, एस.ओ.-115 तथा 116, एस.ओ.-119 तथा 120, एस.ओ.- 117 तथा 118 एवं एस.ओ.-103 तथा 104 की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

6. आसन का अनुरोध

आसन से खड़े होकर माननीय उप सभापति महोदय ने कई बार सदन वेश्म में आए माननीय सदस्यों को अपने स्थान पर चले जाने का अनुरोध किया परंतु यथावत् नारेबाजी जारी रही। सदन के व्यवस्थित नहीं रहने की स्थिति में आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने सदन को 2.30 अपराह्न तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।

(अंतराल)

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी एवं माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करना चाहा, जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि आपका कार्यस्थगन अस्वीकृत कर दिया गया था। इसके उपरांत राजद एवं कांग्रेस के माननीय सदस्यगण जोर-जोर से नारेबाजी करते हुए सदन वेश्म में चले आये तथा अपने हाथों में पोस्टर लहराने लगे। माननीय सदस्य, श्री अशोक चौधरी अपने स्थान पर ही रहे। आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि जिन ध्यानाकर्षणों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन के पटल पर रख दिए जाएं।

7. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्री गुलाम रसूल द्वारा कटिहार जिले के साकिन-मखदुमपुर, सिरनिया, थाना-मुफ्फसिल निवासी मो. नसीर, पिता-स्वर्गीय रहमान मियां को जमीन पर कब्जा दिलाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री राम नारायण मंडल ने वक्तव्य दिया ।

2. माननीय सदस्य, सर्वश्री संजय कुमार सिंह, संजीव कुमार सिंह एवं केदार नाथ पाण्डेय द्वारा राजधानी पटना के बाईपास के इलाका में सड़क एवं नाली निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया।

3. माननीय सदस्य, डा. रणवीर नंदन द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित अमीनों की नियुक्ति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया।

4. माननीय सदस्य, डा. वीरेन्द्र नारायण यादव द्वारा केसरिया बौद्ध स्तूप के बहुमुखी विकास के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया।

5. माननीय सदस्य, डा. सी.पी. सिन्हा द्वारा गांधी मैदान, पटना से गांधी मूर्ति हटाकर कंकड़बाग में लगाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया।

6. माननीय सदस्य, प्रो. संजय कुमार सिंह एवं श्री केदार नाथ पाण्डेय द्वारा बिहार राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति सहित संविदा पर नियुक्त कर्मियों की सेवा नियमित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया।

7. माननीय सदस्य, श्री नीरज कुमार द्वारा पटना सिटी स्थित चाणक्य गुफा को संरक्षित कर उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया।

8. माननीय सदस्य, श्री दिलीप राय एवं श्री दिनेश प्रसाद सिंह द्वारा पटना शहर के राजवंशी नगर एवं पुनाईचक मुहल्ला से पानी निकासी की स्थायी व्यवस्था के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया।

9. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी द्वारा राज्य में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया।

(आसन से खड़े होकर माननीय उप सभापति महोदय ने बार-बार कहा कि अगर आप उत्तर सुनने के लिए तैयार हैं तो बैठिये परंतु यथावत् नारेबाजी होती रही। राजकीय विधेयक की आसन से घोषणा होते ही कांग्रेस के माननीय सदस्यगण सदन वेश्म से निकलकर सदन से बाहर चले गये।)

8. **राजकीय विधेयक**

1. **बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) विधेयक, 2017**

श्री राम नारायण मंडल, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो।

(विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री राम नारायण मंडल, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित हो।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

2. **बिहार काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 2017**

श्री राम नारायण मंडल, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो।

(विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री राम नारायण मंडल, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित हो।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

3. **बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2017**

श्री राम नारायण मंडल, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो।

(विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री राम नारायण मंडल, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित हो।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

4. **बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017**

श्री कपिलदेव कामत, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो।

(विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री कपिलदेव कामत, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित हो।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

9. **निवेदन**

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री सतीश कुमार
2. श्री केदारनाथ पाण्डेय

3. प्रो. संजय कुमार सिंह
4. डॉ. उपेन्द्र प्रसाद
5. मो. गुलाम रसूल
6. श्री बीरेन्द्र नारायण यादव
7. श्री राजेश राम
8. प्रो. नवल किशोर यादव
9. श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा
10. श्री नीरज कुमार
11. श्री संजय प्रसाद
12. श्री संजीव श्याम सिंह
13. श्री रामचन्द्र भारती
14. श्री राधाचरण साह
15. श्री चन्देश्वर प्रसाद

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 24.8.2017 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

23/8/2017

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद् ।

ज्ञापांक- 1313 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 23.8.2017

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, जनसंपर्क एवं सूचना विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
23-08-2017

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद् ।